

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में “अर्ली इंटरवैशनिष्ट” के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में “अर्ली इंटरवैशनिष्ट” पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक, यदि वें चाहें तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ईकर मेल-हैं। सकते हैं।

प्रेम नारायण

(प्रेम नारायण)

अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष-011 : 23062032

नई दिल्ली  
दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख:

2021

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में अर्ली इन्टरवेंशनिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, अर्ली इन्टरवेंशनिस्ट, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2021 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता: वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :  
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संभवा	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं ग्रोल्ल व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अर्ली इन्टरवेंशनिस्ट	02* (2021)	साधारण केंद्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपये)	लागू नहीं होता। लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता। लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता। लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता। लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता। लागू नहीं होता।

<p><b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती या प्रोलन्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिमिटियों की प्रतिशतता</p>	<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिमिटियों की प्रतिशतता</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
<p>(10)</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):</p> <p>(क) जो मूल संबर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ख) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्टर-10(56,100-1,77,500 रुपये) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ग) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहतांग रखते हों:</p> <p>(i) चिकित्सा ल्लातक (एम्बीएस)</p> <p>(ii) अर्ली इन्टरवेंशनिस्ट में नियमित ल्लातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईआई)</p> <p>(iii) शिक्षण/कृतीनिक में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव</p>	<p>विभागीय चयन समिति (चयन पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <p>1. अध्यक्ष या सदस्य (संघ लोक सेवा आयोग) - अध्यक्ष;</p> <p>2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>3. विभागाध्यक्ष (संबंधित), डॉ राम मनोहर लोहिया - सदस्य;</p> <p>4. निदेशक(संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।</p>
<p>(11)</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):</p> <p>(क) जो मूल संबर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ख) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्टर-10(56,100-1,77,500 रुपये) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ग) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहतांग रखते हों:</p> <p>(i) चिकित्सा ल्लातक (एम्बीएस)</p> <p>(ii) अर्ली इन्टरवेंशनिस्ट में नियमित ल्लातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईआई)</p> <p>(iii) शिक्षण/कृतीनिक में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव</p>	<p>विभागीय चयन समिति (चयन पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <p>1. अध्यक्ष या सदस्य (संघ लोक सेवा आयोग) - अध्यक्ष;</p> <p>2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>3. विभागाध्यक्ष (संबंधित), डॉ राम मनोहर लोहिया - सदस्य;</p> <p>4. निदेशक(संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।</p>
<p>(12)</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):</p> <p>(क) जो मूल संबर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ख) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्टर-10(56,100-1,77,500 रुपये) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ग) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहतांग रखते हों:</p> <p>(i) चिकित्सा ल्लातक (एम्बीएस)</p> <p>(ii) अर्ली इन्टरवेंशनिस्ट में नियमित ल्लातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईआई)</p> <p>(iii) शिक्षण/कृतीनिक में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव</p>	<p>विभागीय चयन समिति (चयन पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <p>1. अध्यक्ष या सदस्य (संघ लोक सेवा आयोग) - अध्यक्ष;</p> <p>2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>3. विभागाध्यक्ष (संबंधित), डॉ राम मनोहर लोहिया - सदस्य;</p> <p>4. निदेशक(संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।</p>
<p>(13)</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):</p> <p>(क) जो मूल संबर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ख) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्टर-10(56,100-1,77,500 रुपये) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ग) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहतांग रखते हों:</p> <p>(i) चिकित्सा ल्लातक (एम्बीएस)</p> <p>(ii) अर्ली इन्टरवेंशनिस्ट में नियमित ल्लातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईआई)</p> <p>(iii) शिक्षण/कृतीनिक में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव</p>	<p>विभागीय चयन समिति (चयन पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <p>1. अध्यक्ष या सदस्य (संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

[ए.12018/06/2018-एमएच-1]

(प्रेम नारायण)  
अवर सचिव, भारत सरकार